न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबलपुर जिला जबलपुर

प्र.क्रं0 0007/अ–23/2023–24

(1)– वीरन सिंह गौड़ पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़ उम्र 67 वर्ष, – आवेदकगण
(2)– धरमू सिंह गौड़ (मृत) उम्र 55 वर्ष,
पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़
(3)– बैसाखू सिंह गौड़ उम्र, 50 वर्ष,
पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़
(4)– पल्टू उर्फ संतोष गौड़ उम्र 45 वर्ष,
पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़
(5)– वचन सिंह गौड़ उम्र 40 वर्ष,
पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़
(6)– श्रीमति समलो बाई (मृत) गौड़ उम्र 90 वर्ष,
पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़
सभी निवासी रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत
ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्ध

(1)– ओमप्रकाश त्रिपाठी पिता श्री द्वारका प्रसाद त्रिपाठी, – अनावेदकगण
निवासी संत नगर ग्वारीघाट, पोलीपाथर जिला जबलपुर
(2)– रजिस्ट्री प्रारूपकर्ता– नमन कुमार जैन
निवासी टिवंकल फोटो कापीयर दुकान नंबर
26, कारपोरेशन मार्केट घंटाघर जबलपुर
(3)– नंदिता श्रीवास्तव उप पंजीयक,
उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर–2,
(4)– भारतलाल मेहरा पिता श्री झून्नीलाल मेहरा
निवासी 183, खम्हरिया कटनी (म.प्र.)
(5)– नारायण प्रसाद श्रीवास्तव पिता गौरीशंकर श्रीवास्तव
निवासी एच.एन. 2054, रेल्वे रोड कस्तूरबा नगर
कांचघर जबलपुर (म.प्र.)
(6)– रोहित खरे
विवादित भूमि के नक्शा निर्माता

आदेश

(पारित दिनांक 14/02/2025)

प्रकरण में आवेदक द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख)(3) तहत के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :–

आवेदक वीरन सिंह गोड़ पिता नन्हेलाल गोड़ एवं अन्य 05 सभी निवासी रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत ऐठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर के

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा ग्राम रामपुर नकटिया प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर–2, स्थित भूमि खसरा नंबर 27/1 रकवा 0.04800 हेक्ट. भूमि को अनावेदक ओमप्रकाश त्रिपाठी पिता द्वारका प्रसाद त्रिपाठी एवं अन्य 05 को विक्रय कर दी गई। जबकि वीरन सिंह गोड़ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। आवेदक के साथ छलकपटकर फर्जी दस्तोवज तैयार कर छल–कपटकर कर भूमि विक्रय करने बावद आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 165 सहपठित धारा 170(ख)(3) म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 वास्ते कपटपूर्ण अंतरण को शून्य घोषित किये जाने बावद् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण आदिवासी जाति के है कम पढ़े लिखे है उनके पास पैत्रिक भूमि ग्राम रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित कृषि भूमि जिसका प.ह.नं. पुराना 28 नया 36 के खसरा नंबर 27/1 रकवा 0.04800 हेक्ट. कृषि भूमि का विक्रय धोखाधड़ी कर दिनांक 03.03.2023 को जो बैनामा रजिस्ट्र्ड कराया गया है वह फर्जी है बैनामें में जिन लोगो के फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर दर्शाएं गये है वह पूर्णतः फर्जी है, वास्तविक शिकायतकर्ताओं के द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। यह कि बैनामा दिनांक 03.03.2023 में धरमू गौड़ को जीवित बतलाया गया है जबकि उसकी मृत्यु दिनांक 02.09.2016 को यानि लगभग 07 वर्ष, पूर्व हो चुकी है एवं समलों बाई की मृत्यु दिनांक 15.10.2013 को यानि लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस तरह आवेदकगणों के पैत्रिक भूमि के दस्तावेज खसरा में सभी के नाम के आगे गौड़ की राजपूत लिखकर जो बैनामा रजिस्टर्ड कराया गया है वह पूर्णतः फर्जी है, हम आवेदकगणों के द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। यह कि, आवेदकगणों के द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं की है, उक्त संपूर्ण बैनामा के कथन पूर्णतः फर्जी है तथा क्रेता एवं विक्रेतागणों के विरूद्ध उक्त बैनामा को रद्द किये जाने की दया की जावें।

अनावेदक क्रमांक 3 नंदिता श्रीवास्तव उप रजिस्ट्रार जबलपुर के द्वारा बगैर मूल दस्तावेजों का मिलान करते हुये जो बैनामा रजिस्ट्र्ड किया गया है वह पूर्णतः फर्जी व असत्य है उसे रदद किये जाने की दया की जावें। यह कि, विवादित भूमि के संबंध में अनावेदक क्रमांक 6 रोहित खरे पटवारी के द्वारा विवादित भूमि का जो नक्शा तैयार किया गया है यह जानते हुये कि वह राजपूत की भूमि नहीं है, आदिवासी लोगों की भूमि है इस कारण उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करने की दया की जावें। यह कि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से परिचित है इसलिये उनके विरूद्ध व गवाहो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये बैनामा को रदद किये जाने की दया की जावें। यह कि आवेदकगण को रजिस्ट्री की जानकारी पटवारी के माध्यम से प्राप्त हुई और उसके द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय से दिनांक 02.08.2023 को प्रतिलिपि प्राप्त कर पुलिस अधिकारियों एवं जिला अध्यक्ष जबलपुर को शिकायत प्रस्तुत की गयी थी जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ पेश की जा रही है। जिसके श्रवण के क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है।

यह कि रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार नंदिता श्रीवास्तव साक्षी अनावेदक क्रमांक 3, 4, 5 एवं पटवारी 6 के द्वारा मिलकर जो रजिस्ट्री की गयी है वह पूर्णतः फर्जी है उसे रद्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। यह कि आवेदक आदिवासी गौड़ जाति के सदस्य

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

है उनको अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है इस कारण अनावेदकगणों के द्वारा की गयी धोखा–धड़ी के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की दया की जाये। आवेदक का आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगणों द्वारा दिनांक 02.08.2023 को जो बैनामा रजिस्ट्रर्ड करवाया गया है वह पूर्णतः फर्जी एवं असत्य है वीरन सिंह के नाम के आगे राजपूत लिखकर जो बैनामा लिखा गया है उसे पूर्णतः शून्य घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में अनावेदकगण (1) नंदिता श्रीवास्तव, उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर, (2) रजिस्ट्रीकर्ता नमन कुमार जैन, निवासी घंटाकर जबलपुर, (3) ओमप्रकाश त्रिपाठी, संत नगर ग्वारीघाट जबलपुर, (4) नारायण प्रसाद श्रीवास्तव निवासी एचएन 2054 रेल्वे रोड कस्तूरबा नगर कांचघर जबलपुर को नोटिस जारी किया गया। किन्तु अनावेदकगण सूचना उपरांत न्यायालय में उपस्थित न होने पर प्रकरण एक पक्षीय किया गया।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार जबलपुर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार जबलपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 26/11/2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम रामपुर नकटिया में आवेदक वीरन सिंह गौड़ पिता नन्हेलाल गौड़ एवं अन्य 05 ने उनकी भूमि सर्वे नंबर 27/1 रकवा 0.48 हेक्ट. को अनावेदक ओमप्रकाश त्रिपाठी पिता द्वारका प्रसाद त्रिपाठी सा. संत नगर ग्वारीघाट पोलीपाथर जबलपुर द्वारा कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिनांक 03.03.2023 को ई रजि. विक्रय पत्र क्रमांक MP182552023A11551664 संपादित करा लिया गया है जिससे विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जाये। आवेदन पत्र की जांच ग्रामवासियों के समक्ष की गयी जिसमें उन्होने बताया कि ग्राम रामपुर नकटिया में स्थित भूमि सर्वे नंबर 27/1 रकवा 0.48 हेक्ट. भूमि वीरन सिंह गौड़ पिता नन्हेलाल गौड़ एवं अन्य–05 की पैत्रिक संपत्ति है। आवेदक गौड़ अनुसूचित जनजाति का है एवं उसने एवं उसके परिवारजनों ने ग्राम रामपुर नकटिया की भूमि सर्वे नंबर 27/1 रकवा 0.48 हेक्ट. का किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं किया गया है। विक्रय पत्र में वीरन सिंह पिता नन्हेलाल गौड़ एवं अन्य–5 को वीरन सिंह राजपूत पिता नन्हेलाल राजपूत एवं अन्य–5, को वीरन सिंह राजपूत पिता नन्हेलाल राजपूत एवं सभी खातेदारों को भी राजपूत जाति लिखकर विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है। अतः उक्त विक्रय पत्र छलकपटपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करके निष्पादित किया जाना प्रतीत होता है। अतः विक्रय पत्र को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2024 से सहमत होते हुये उपरोक्त विवेचना में पाया गया कि अनावेदक ओम प्रकाश त्रिपाठी पिता द्वारका प्रसाद त्रिपाठी निवासी संत नगर, ग्वारीघाट रोड, पोलीपाथर, जिला जबलपुर के द्वारा आवेदकगण– (1) श्रीमति खमलो बाई उम्र 69 वर्ष, पत्नि स्व.श्री नन्हेलाल, निवासी 1454, मनमोहन नगर, दमोहनाका, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, (2) वचन सिंह उम्र 49 वर्ष, पिता स्व. श्री नन्हेलाल निवासी 1454, मनमोहन नगर, दमोहनाका, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, (3) पल्टू राजपूत उम्र 47 वर्ष, पिता स्व.श्री नन्हेलाल निवासी 1454, मनमोहन नगर, दमोहनाका,

CASL 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, (4) वीरन सिंह राजपूत उम्र 51 वर्ष, पिता स्व.श्री नन्हेलाल निवासी बरगी रोड, ग्राम जमुनिया, मुकनवारा, घाटपिपरिया जबलपुर, (5) धरमू उम्र 39 वर्ष, पिता नन्हेलाल निवासी 1454, मनमोहन नगर, दमोहनाका, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, (6) बैसाखू राजपूत उम्र 43 वर्ष, पिता स्व.श्री नन्हेलाल निवासी 1454, मनमोहन नगर, दमोहनाका, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, (7) समनी, उम्र 27 वर्ष, निवासी 1454, मनमोहन नगर, दमोहनाका, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, (म.प्र.) की भूमि ग्राम रामपुर नकटिया प.ह.नं. 28 (पटवारी हल्का ऐंठाखेड़ा) रा.नि.मं. जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 27/1 रकवा 0.4800 हेक्ट. भूमि छल–प्रपंच कारित कर पहले भूमि कूट रचना कारितकर पंजीयक कार्यालय में ई पंजीकरण संख्या MP182552023A11551664 पंजीकरण की तिथि दिनांक 03.03.2023 का पंजीयन अपने नाम से करा लिया गया। आदिम जनजाति सदस्य की भूमि को बिना सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर से म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भूमि का बैनामा निष्पादन कराये जाने का प्रावधान है जो आवेदक द्वारा पंजीयन के पूर्व कलेक्टर महोदय, से अनुमति प्राप्त किये बिना ही बैनामा क्रमांक MP182552023A11551664 का निष्पादन अपने पक्ष में कराया गया है।

प्रकरण में आवेदक वीरन सिंह गोंड द्वारा अपने पुत्र ब्रजेश सिंह का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इस न्यायालय की दायरा पंजी वर्ष 2004–05 में राजस्व प्रकरण 3519/बी–121/2004–05 जारी दिनांक 01/08/2005 में मिलान करने पर गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि होती है। जिसे म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है। साथ ही *म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में प्रावधान है कि धारा 170(ख) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी के अंतरण ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेंगा।*

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 में न्याय दृष्टांत है कि– शून्य अन्तरण– यदि गैर आदिवासी ने अपने लाभ के लिये आदिवासी की जमीन को आदिवासी के नाम पर अंतरण करा लिया है तो ऐसे मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी कर सकता है और बिकी को शून्य घोषित कर सकता है। जांच करने बाद बिकी को शून्य घोषित किया गया उसे उचित माना गया। रिट याचिका खारिज की गई। **{बसिया वि. धोलिया तथा अन्य 1997 रा.नि. 273 (न्या: श्री आर.एस. गर्ग म.प्र. हा.को)}**

अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मै अभिषेक सिंह ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (ग्रामीण), जबलपुर बैनामा क्रमांक MP182552023A11551664 पंजीयन दिनांक 03.03.2023 आकृत एवं शून्य घोषित करता हूँ।

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रश्नाधीन भूमि में राजस्व अभिलेख पूर्ववत श्रीमती खमलो बाई गौंड बेवा नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी, वचन गौंड पिता नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी, पल्टू गौंड नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी, वीरन गौंड पिता नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी, धरमू गौंड पिता नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी, समनी गौंड पिता नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बैसाखू गौंड पिता नन्हेलाल जाति आदिवासी पता रामपुर नकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी के नाम प्रतिवर्तित की जाती है। तहसीलदार जबलपुर से आदेशानुसार कब्जे की पुष्टि कराई जावे।

आदेश आज दिनांक.......14/02/2025 को खुली अदालत में मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की पदमुद्रा मोहर से जारी किया गया।

(अभिषेक सिंह ठाकुर)
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

पृष्ठा.क्र. / /प्र–1 / अ.वि.अ / 2025 जबलपुर, दिनॉक /02/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जबलपुर को उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. तहसीलदार जबलपुर की ओर आदेश के पालनार्थ एवं छलकपट की जानकारी सम्बधित थाना प्रभारी को दी जाकर मामला दर्ज कराया जावें।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर–2, जिला जबलपुर को बैनामा क्रमांक MP182552023A11551664 दिनांक 03.03.2023 को निरस्त किये जाने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

CASL 0003

Scanned with OKEN Scanner